126361

मध्यप्रदेश शासन,
विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्रमांक 2272/E-883668/2026/21–ब(एक), भोपाल, दिनांक 18.06.2026

प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल,
म.प्र. उच्च न्यायालय,
जबलपुर (म.प्र.)

विषयः– म0प्र0 न्यायिक सेवा के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को केन्द्र के समान मंहगाई राहत की एक अतिरिक्त किश्त का भुगतान किये जाने के संबंध में।

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा ज्ञापन संख्या 42/02/2024-P&PW(D)/E-9475 दिनांक 24 अप्रैल, 2026 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से केन्द्र सरकार के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को उनके पूर्व कार्यालयीन ज्ञापन संख्या 42/02/2024-P&PW(D) दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के अनुक्रम में **दिनांक 01/01/2026 58% से बढ़ाकर 60% महंगाई राहत** का लाभ दिया गया है। मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के नियम–11(3) के तहत ये पुनरीक्षित दरें मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों पर लागू होंगी।

अतः राज्य शासन केन्द्र सरकार के उक्त समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 24/04/2026 में वर्णित शर्तों के अध्याधीन राज्य के न्यायिक सेवा के समस्त सेवानिवृत्त सदस्यों को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2022 के नियम–11(3) अनुसार **दिनांक 01/01/2026 से पेंशन पर राहत 58% से बढ़ाकर 60% की दर** से भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
Digitally signed by
ANIL KUMAR PATHAK
Date: 18-06-2026
10:49:48
(अनिल कुमार पाठक)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

निरंतर 2 पर

DR Orders of Judicial Officers

सं.42/02/2024-पी&पीडब्ल्यू(डी)/ई-9475

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दिनांक : 24 अप्रैल, 2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की मंजूरी - संशोधित दर दिनांक 01 जनवरी, 2026 से लागू।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के कार्यालय ज्ञापन सं. 42/02/2024-पी&पीडब्ल्यू(डी) का संदर्भ देने और यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति जी ने सहर्ष यह निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को अनुज्ञेय महंगाई राहत को, दिनांक 01 जनवरी, 2026 से मूल पेंशन/कुटुंब पेंशन (जिसमें अतिरिक्त पेंशन/अतिरिक्त कुटुंब पेंशन भी है) के 58% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 60% कर दिया जाए।

2. महंगाई राहत की ये दरें, सशस्त्र बलों के पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी और सिविल पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी जिनके लिए रक्षा सेवा प्रावकलनों से अदायगी की जाती है सहित केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों; रेलवे पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों; अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों; ऐसे पेंशनभोगी जो अनंतिम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और इस विभाग के 23 जून, 2017 के का.ज्ञा.सं.4/34/2002-पी&पीडब्ल्यू(डी)खंड-II और इस विभाग के 11 सितंबर, 2017 के का.ज्ञा.सं.23/3/2008-पी&पीडब्ल्यू(बी) के पैरा 6 द्वारा कवर किए गए पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों पर लागू होगी।

3. महंगाई राहत के संदाय में जहां रूपये का कोई भाग हो, वहां उसे अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाए।

4. महालेखाकार कार्यालय और प्राधिकृत पेंशन संवितरण बैंकों से अनुरोध है कि वे भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के दिनांक 23 अप्रैल, 1981 के पत्र सं 528-टीए. II/34-80-II और भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 21 मई, 1981 के परिपत्र संख्या जीएएनबी सं 2958/जीए-64 (ii) (सीजीएल)/81 को ध्यान में रखते हुए, किसी अन्य अनुदेशों की प्रतीक्षा किए बिना, उपर्युक्त अनुदेशों के आधार पर, पेंशनभोगियों और कुटुंब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत के संदाय का प्रबंध करें।

5. भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में कार्यरत कार्मिकों के संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन यथाअधिदेशित, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करने के पश्चात जारी किए जाते हैं।

6. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से उनके दिनांक 22 अप्रैल, 2026 के कार्यालय ज्ञापन सं 1(1)/2026-ई.II(बी) के अनुसरण में जारी किया जाता है।

(डॉ प्रमोद कुमार)
निदेशक

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव और प्रशासक।
3. सभी प्राधिकृत पेंशन संवितरण बैंकों के सीएमडी/सीपीसीसी
4. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)
5. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को सूचनार्थ।

38. प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एफ.जी.एम ऑफिस नियर गवर्मेंट प्रेस अरेरा हिल्स भोपाल
39. श्री एम.आर. पाण्डे, अध्यक्ष म.प्र. न्यायिक सेवानिवृत्त संघ, 192, न्याय नगर, सुखलिया, इंदौर (म.प्र.) पिन–452010,
40. अवर सचिव, मानिटरिंग (विभागीय वेबसाइट एवं एफ0टी0एम0एस0 पर अपलोड किये जाने हेतु) विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
41. प्रधान महालेखाकार, अन्य राज्य.....
42. रजिस्ट्रार, म.प्र. औद्योगिक न्यायालय, मोती बंगला, एम.जी. रोड, इंदौर
43. प्रभारी स्थापना शाखा, विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल,
44. बिल लिपिक, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Digitally signed by
HEMANT KUMAR AGARWAL
Date: 18-06-2026 11:01:46

(हेमन्त कुमार अग्रवाल)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग